



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 159 राँची, गुरुवार,

7 अप्रैल, 2022 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

31 मार्च, 2022

संख्या-प्र.01/स्था.रा.विधिक माप विज्ञान/03/2022-954--खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 2984 (HRMS) से दिनांक 16.03.2022 द्वारा विधिक माप विज्ञान सेवा में निम्नांकित पदाधिकारी को औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया गया तथा पदाधिकारी द्वारा अपने पद का प्रभाग ग्रहण कर लिया गया है जो निम्नवत् है:

क्र. सं.	नाम	गृह	पदस्थापित स्थल	प्रभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4	5
1	विजय बहादुर गुप्ता	भभुआ, बिहार	सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची	दिनांक 21.03.2022
2	सूर्य कांत	गुमला, झारखण्ड	सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, गिरिडीह	
3	शशि कांत कुमार	पलामू, झारखण्ड	सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, धनबाद	

2. विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के नियम-21 के अनुसार विधिक माप विज्ञान सेवा के पदाधिकारियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण आवश्यक है, जिसमें विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं नियमावली से सम्बद्ध उनके कार्य अधिकार एवं कर्तव्य बोध का ज्ञान दिया जाएगा। यह आधारभूत प्रशिक्षण भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, काँके, राँची में (4) चार माह की अवधि दिनांक 01.04.2022 से 29.07.2022 तक निर्धारित है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त माप विज्ञान सेवा के पदाधिकारी को चार (4) माह के आधारभूत प्रशिक्षण के निमित्त भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, काँके, राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

4. पदाधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि के लिए उक्त कार्यालयों के सुचारु संचालन हेतु निम्नांकित विधिक माप विज्ञान सेवा के पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है: -

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम	अतिरिक्त प्रभार सहायक नियंत्रक
1	श्री राजकुमार, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, पलामू	राँची।
2	श्रीमती बसंती तिर्की, उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, हजारीबाग	गिरिडीह एवं धनबाद।

5. यह अतिरिक्त प्रभार मात्र चार माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए मान्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश चन्द्र चौधरी,
सरकार के अपर सचिव।
